न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निशान संख्या:– 69 / 2020 निर्णय दिनांक :–22.02.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

रामस्वरूप पुत्र हजारी जाति माली आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

नेवाराम पुत्र हजारी जाति माली आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी–

–उपस्थिति –
श्री बंशीलाल कलवार
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खाता संख्या 868 में वर्णित प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात भूमि खसरा नम्बर 1364 रकबा 0.04 है0 गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 1365 रकबा 0.07 है0 नहरी–1, खसरा नम्बर 1366 रकबा 0.07 है0 नहरी–1, खसरा नम्बर 1367 रकबा 0.09 है0 नहरी–1, खसरा नम्बर 1368 रकबा 0.14 है0 नहरी–1, खसरा नम्बर 1369 रकबा 0.20 है0 नहरी–1, खसरा नम्बर 1370 रकबा 0.10 है0 नहरी–1, खसरा नम्बर 1371 रकबा 0.10 है0 नहरी–1, खसरा नम्बर 1372 रकबा 0.08 है0 नहरी–1, खसरा नम्बर 1373 रकबा 0.11 है0 नहरी–1, खसरा नम्बर 1374 रकबा 0.10 है0 नहरी–1, खसरा नम्बर 1375 रकबा 0.10 है0 नहरी– कुल किता 12 कुल रकबा 1.20 है0 वाके ग्राम पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान राज्य में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1 / 8 हिस्सा है, जिसका उपयोग–उपभोग प्रार्थी शुरू से ही करता चला आ रहा है। खाता संख्या 867 में वर्णित प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात भूमि खसरा नम्बर 1008 रकबा 0.07 है0 चाही–1,

सरा नम्बर 1043 रकबा 0.01 है0 चाही–1, खसरा नम्बर 1044 रकबा 0.01 है0 ाही–1, खसरा नम्बर 1045 रकबा 0.01 है0 चाही–1, खसरा नम्बर 1363 रकबा 0.01 है0 गै.मु.चाह, खसरा नम्बर 1378 रकबा 0.33 है0 नहरी–1 कुल किता 6 कुल रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान राज्य में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/8 हिस्सा है, जिसका उपयोग–उपभोग प्रार्थी शुरू से ही करता चला आ रहा है। खाता संख्या 871 में वर्णित प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात भूमि खसरा नम्बर 1172 रकबा 0.05 है0 चाही–1, खसरा नम्बर 1187 रकबा 0.08 है0 चाही–1, खसरा नम्बर 1193 रकबा 0.09 है0 बरानी–2, खसरा नम्बर 1505 रकबा 0.06 है0 चाही–1, खसरा नम्बर 1515 रकबा 0.02 है0 चाही–1, खसरा नम्बर 3909/1281 रकबा 0.11 है0 नहरी–2 कुल किता 6 कुल रकबा 0.41 है0 वाके ग्राम पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान राज्य में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/8 हिस्सा है, जिसका उपयोग–उपभोग वादी शुरू से ही करता चला आ रहा है। खाता संख्या 974 में वर्णित प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात भूमि खसरा नम्बर 1195 रकबा 0.06 है0 बरानी–1, खसरा नम्बर 1206 रकबा 0.06 है0 चाही–1 कुल किता 2 कुल रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान राज्य में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/8 हिस्सा है, जिसका उपयोग–उपभोग वादी शुरू से ही करता चला आ रहा है। खाता संख्या 868, 867, 871, 974 में वर्णित आराजीयात भूमि वाके ग्राम पनवाड़ में स्थित है, जिसमें प्रार्थी 1/8 हिस्सा है तथा प्रतिपक्षी का 1/8 हिस्सा है। प्रतिपक्षी संख्या 1 झगड़ालू प्रतृति का व्यक्ति होने के कारण प्रार्थी के उपयोग–उपभोग व कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात भूमि में फसल बौने–जोतने में मजामहत उत्पन्न करने पर आमादा है, जिसे जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है यदि प्रतिपक्षी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रतिपक्षी संख्या 1 बिना विधिवत बटवारे के ही भूमि को विक्रय कर देगा तथा प्रार्थी के उपयोग–उपभोग एवं खातेदारी की भूमि में व्यवधान उपत्पन कर देगा जिससे प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, प्रार्थी अपने जायज हको से महरूम हो जायेगा इसलिये प्रतिपक्षी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है

A.R.

वह स्वंय जरिये ऐजेन्ट नोकर चाकर के प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी एवं उपयोग–उपभोग की भूमि में मजामहत नहीं करें ओर पाबन्द रहें।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी से बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने व अप्रार्थी को मूलवाद तक पाबन्द करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजे जमाबन्दी संम्वत 2075–78 के खाता संख्या 868, 974, 871, 867 वाके ग्राम पनवाड़ तहसील देवली में प्रार्थी व अप्रार्थी सह खातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वाद वर्णित आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी 1/8–1/8 हिस्से के सहखातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत अप्रार्थी को कोई आपति होती तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर आपति पेश करता। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः अप्रार्थी मेवाराम पुत्र हजारी को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसलावाद पाबन्द किया जाता है कि वह जमाबन्दी संम्वत 2075–78 के खाता संख्या 868 कुल किता 12 कुल रकबा 1.20 है0, खाता संख्या 974 कुल किता 2 कुल रकबा 0.12 है0, खाता संख्या 871 कुल किता 6 कुल रकबा 0.41 है0, खाता संख्या 867 कुल किता 6 कुल रकबा 0.44 है0 में प्रार्थी के 1/8 हिस्से की भूमि में प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत व बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे और न ही अन्य किसी प्रकार से या अन्य माध्यम से करावे । राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। ताफैसला मूलवाद पाबन्द रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ हमफिता हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली